न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय द्वितीय हापुड़।

उपस्थितः– वीरेश चंद्रा (उच्चतर न्यायिक सेवा); (UP-1801)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1445/2026

UPHP010049392026

शिवा उर्फ राहुल पुत्र श्री प्रमोद निवासी ग्राम डगरपुर थाना खेखडा जिला बागपत।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1561/2026

UPHP010051472026

बिटटू पुत्र भूले सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिंभावली जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1539/2026

UPHP010050782026

अमित पुत्र भूले सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिंभावली जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1589/2026

UPHP010052362026

शिवा पुत्र भूले सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिंभावली जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1444/2026

UPHP010049362026

विपिन पुत्र सुदेश निवासी ग्राम मतनौरा थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1548/2026

UPHP010050962026

मोहित उर्फ जंगली पुत्र भेलू सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिंभावली जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

एवं

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1425/2026

UPHP010049062026

रोहित पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद थाना सिंभावली जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या– 244/2026
धाराः 109 (1), 110, 115 (2), 132, 191 (2), 191 (3), 351 (3), 352 बी0एन0एस0
थानाः हापुड़ देहात।
जिला–हापुड़।

आदेश

17.07.2026

अभियुक्तगण शिवा उर्फ राहुल पुत्र श्री प्रमोद, बिटटू पुत्र भूले सिंह, अमित पुत्र भूले सिंह, शिवा पुत्र भूले सिंह, विपिन पुत्र सुदेश, मोहित उर्फ जंगली पुत्र भेलू सिंह, रोहित पुत्र बलवीर सिंह की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में पृथक पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र एक ही घटना से संबंधित है, जिस कारण उक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.06.2026 समय 12.31 पर दर्ज की गयी है, जबकि उक्त घटना की दिनांक 13.06.2026 को समय 1.00 बजे अन्य व्यक्तियों द्वारा कारित की गयी है, तथा पुलिस द्वारा फर्जी व झूठे तथ्यों के आधार पर घटना घटित होने से पूर्व ही दर्ज करी गयी है। अभियुक्त के खिलाफ जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जो भी साक्षी दर्शित है, वह पुलिस कर्मचारीगण हैं। उक्त मुकदमें में अभियुक्त शिवा उर्फ राहुल एवं विपिन पुत्र सुदेश दिनांक 14.06.2026 से एवं अभियुक्त मोहित उर्फ जंगली दिनांक 19.06.2026 से अभियुक्त बिटटू पुत्र भूले एवं अभियुक्त शिवा पुत्र भूले दिनांक 16.06.2026 से अभियुक्त अमित पुत्र भूले दिनांक 19.06.2026 से अभियुक्त रोहित पुत्र बलवीर सिंह दिनांक 13.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है वादी मुकदमा की डयूटी रात्रि लैपर्ड दिनेश विद्यापीठ चौकी क्षेत्र में थी व साथ में कां0 अभिषेक त्यागी था समय करीब रात्रि 1.00 बजे प्रार्थी गस्त करता हुआ मुरादपुर निजामपुर पहुंचा तो एक बाईक यू0पी0 37 ए0एसी0 2469 टी0वी0एस0 राइडर पर सवार तीन व्यक्ति आये संदिग्ध होने पर चैंकिग की गयी तो उनके

पास मो0सा0 में 4–54 शराब की बोतले थी, तो हम लोगों ने इस संबंध में पूछताछ कर वीडियो बनानी शुरू कर दी तो उन तीनों ने अपने साथियों को बुला लिया ओर लगभग 10–12 लोगों का इकटठा कर लिया। सरकारी कार्य में बांधा डालते हुए शराब की बोतल व डंडों से वादी मुकदमा व उसके साथी के साथ सभी लोगों ने एक साथ मिलकर मारपीट की तथा उसके सर पर शराब की बोतल मारी जिससे उसका सर फट गया व पूरे शरीर में गंभीर चोट आयी। उसे जान से मारने की नीयत से शराब की फुटी हुई बोतल को मेरे पेट में मारा जिससे वह बाल बाल बच गया। अभिषेक को भी काफी गंभीर चोटें लगी है। जिस कारण वह बेहोश हो गया। अभियुक्तगण गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा एवं उसके साथी के साथ मारपीट करके गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। एफ0आई0आर0 के अनुसार वादी मुकदमा (चुटेल) के सिर पर अभियुक्तगण द्वारा शराब की बोतल को उसके सिर पर मारना और उसका सिर फटना अंकित है, परंतु केस डायरी में संलग्न मेडिकल प्रपत्र के अनुसार सिर पर खुली जायरा चोट नहीं पायी है, केवल सवेलिंग (सूजन) होना अंकित है। विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में धारा 109 (1), 110 बी0एन0एस0 अर्थात दोनों के अंतर्गत अपराध का होना अभी तक पाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कोई भी अपराध/घटना जो अभियुक्तगण द्वारा की गयी है, किसी भी प्रकार से धारा 109 (1) एवं 110बी0एन0एस0 दोनों के अंतर्गत विधिक रूप से नहीं आ सकती हैं। अपराध या तो जान से मारने की नीयत से हत्या करने का प्रयत्न होगा अथवा आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का अपराध होगा। उक्त मुकदमें में अभियुक्त शिवा उर्फ राहुल एवं विपिन पुत्र सुदेश दिनांक 14.06.2026 से एवं अभियुक्त मोहित उर्फ जंगली दिनांक 19.06.2026 से अभियुक्त बिटटू पुत्र भूले एवं अभियुक्त शिवा पुत्र भूले दिनांक 16.06.2026 से अभियुक्त अमित पुत्र भूले दिनांक 19.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व हैं। ऐसी दशा में मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अस्तु आवेदक/अभियुक्त 1. शिवा उर्फ राहुल पुत्र श्री प्रमोद, 2. बिटटू पुत्र भूले सिंह, 3. अमित पुत्र भूले सिंह, 4. शिवा पुत्र भूले सिंह, 5. विपिन पुत्र सुदेश, 6.मोहित उर्फ जंगली पुत्र भेलू सिंह, 7. रोहित पुत्र बलवीर सिंह की जमानत उपरोक्त मामले में स्वीकार की जाती है। तदनुसार प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर अंकनः 80,000/– रूपये (अस्सी हजार रूपये) का निजी बंधपत्र समान धनराशि की एक जमानत

दाखिल करने पर निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा किया है–

1. अभियुक्तगण दौरान विचारण किसी भी साक्षी को डरायेगा धमकायेगें नही, न ही किसी भी तरह से प्रभावित करेगें।

2. अभियुक्तगण दौरान विचारण पत्रावली निस्तारण कराने में समुचित सहयोग प्रदान करेगें और प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय द्वितीय
हापुड।

Digitally signed by VIRESH CHANDRA
Date: 2026.07.17 18:51:45 IST
Reason: B O
Location: District and Sessions Court
hapur